संख्या-591**/2025/41-1-2025-002-सी0एन0-1914609**/2025

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक** 30 **जून**, **2025**

विषय:- मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों में पर्यटन विकास कार्य कराये जाने संबंधी परियोजनाओं की अवशेष धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0-1/195176/2025/मु0प0वि0स0यो0/सीएन-95225/2023, दिनांक 27 जून, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ''मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजनान्तर्गत''विभिन्न जनपदों में पर्यटन विकास कार्य कराये जाने संबंधी परियोजनाओं हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-349/2025/--/41-1-2025-सी0एन-1914609/2025, दिनांक 30 मार्च, 2025 द्वारामुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में पर्यटन विकास कार्य कराये जाने संबंधी कुल 11 परियोजनाओं हेतु रू0 2.75 लाख की धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की गयी थी कि प्रस्तावक द्वारा भी प्रथम किश्त के समान ही धनराशि साथ में देय होगी। उक्त परियाजनाओं में से निम्नलिखित 07 परियोजनाओं हेतु प्रथम किश्त के रूप में निम्नानुसार धनराशि अवमुक्त की गयी थी, जिस पर द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध महानिदेशक, पर्यटन,उ0प्र0 के उपर्युक्त पत्र दिनांक 27 जून, 2025 द्वारा किया गया है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

सं0	**कम्प्यूटर सं0**	**कार्य का नाम**	**नामित कार्यदायी संस्था**	**प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति**	**प्रथम किश्त के रूप में अनुमोदित धनराशि**	**टोकन के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि**	**प्रस्तावक का नाम**	**सहभागिता के अन्तर्गत साथ ही में दी जाने वाली धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	1913984	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर जौनपुर के कुत्तुपुरा चौराहे पर मॉ दुर्गा मंदिर का अवस्थापना कार्य हेतु	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	49.56 (जीएसटी सहित	12.00	0.25	श्री गिरीश चन्द्र यादव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 सरकार	0.25
2	1913981	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम सभा मानीकला में काली मॉ मंदिर का अवस्थापना कार्य हेतु	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	49.97 (जीएसटी सहित)	12.00	0.25	श्री गिरीश चन्द्र यादव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 सरकार	0.25
3	1913874	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के मनेच्छा में मंदिर का अवस्थापना कार्य हेतु	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	49.81 (जीएसटी सहित)	12.00	0.25	श्री गिरीश चन्द्र यादव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 सरकार	0.25
4	1913318	जनपद गोरखपुर के विधानसभा क्षेत्र/तहसील चौरी-चौरा, ग्राम नदुआज्ञानपार, ब्लॉक ब्रम्हपुर में स्थित प्राचीन काली माता जी मंदिर का र्पटन विकास कार्य हेतु	यू0पी0एस0 टी0डी0सी0	49.98 (जीएसटी सहित	12.00	0.25	श्री सरवन कुमार निषाद, मा0 विधायक, 326-चौरी चौरा, गोरखपुर	0.25
5	1913303	जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगांव ग्राम मझगांव, गगहा में स्थित जय मॉ करवल देई पखल का पर्यटन विकास कार्य हेतु	यू0पी0एस0 टी0डी0सी0	49.78 (जीएसटी सहित)	12.00	0.25	डा0 विमलेश पासवान, मा0 विधायक, 327-बांसगांव, गोरखपुर	0.25
6	1913568	जनपद गोरखपुर के ग्राम नूरूदीनचक ब्लाक भरोहिया	यू0पी0एस0 टी0डी0सी0	49.08 (जीएसटी	12.00	0.25	श्री फतेह बहादुर सिंह, मा0 विधायक,	0.25

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

		तहसील कैम्पियरगंज में स्थित श्री झारखंडी महादेव मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु		सहि			कैम्पियरगंज, गोरखपुर	
7	1913297	जनपदगोरखपुर के ग्राम सभा अकोलही विकास खण्ड खेराबार स्थित प्राचीन शिव मंदिरस्थल (पोछीया ब्रम्ह स्थान) का पर्यटन विकास कार्य हेतु	यू0पी0एस0टी0डी0सी0	49.94 (जीएसटी सहित	12.00	0.25	श्री विपिन सिंह, मा0 विधायक, 23 गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर	0.25

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में निम्नवत् सारिणी के अनुसार कुल रू0 122.50लाख (रूपये एक करोड़ बाईस लाख पचास हजार मात्र)अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत प्रस्तावक द्वारा भी द्वितीय किश्त के समान ही धनराशि साथ में देय होगी :-

(धनराशि रूपये लाख में)

सं0	**कम्प्यूटर सं0**	**कार्य का नाम**	**नामित कार्यदायी संस्था**	**प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति**	**प्रथम किश्त के रूप में अनुमोदित धनराशि**	**टोकन के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि**	**प्रस्तावक का नाम**	**द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	1913984	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर जौनपुर के कुत्तुपुर चौराहे पर मॉ दुर्गा मंदिर का अवस्थापना कार्य हेतु	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	49.56 (जीएसटी सहित	12.00	0.25	श्री गिरीश चन्द्र यादव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 सरकार	17.50
2	1913981	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम सभा मानीकला में काली मॉ मंदिर का अवस्थापना कार्य हेतु	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	49.97 (जीएसटी सहित)	12.00	0.25	श्री गिरीश चन्द्र यादव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 सरकार	17.50
3	1913874	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के मनेच्छा में मंदिर का अवस्थापना कार्य हेतु	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	49.81 (जीएसटी सहित)	12.00	0.25	श्री गिरीश चन्द्र यादव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 सरकार	17.50
4	1913318	जनपद गोरखपुर के विधानसभा क्षेत्र/तहसील चौरी-चौरा, ग्राम नदुआज्ञानपार, ब्लॉक ब्रम्हपुर में स्थित प्राचीन काली माता जी मंदिर का र्पटन विकास कार्य हेतु	यू0पी0एस0टी0डी0सी0	49.98 (जीएसटी सहित	12.00	0.25	श्री सरवन कुमार निषाद, मा0 विधायक, 326-चौरी चौरा, गोरखपुर	17.50
5	1913303	जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगांव ग्राम मझगांव, गगहा में स्थित जय मॉ करवल देई पखल का पर्यटन विकास कार्य हेतु	यू0पी0एस0टी0डी0सी0	49.78 (जीएसटी सहित)	12.00	0.25	डा0 विमलेश पासवान, मा0 विधायक, 327-बांसगांव, गोरखपुर	17.50
6	1913568	जनपद गोरखपुर के ग्राम नूरूदीनचक ब्लाक भरोहिया तहसील कैम्पियरगंज में स्थित श्री झारखंडी महादेव मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	यू0पी0एस0टी0डी0सी0	49.08 (जीएसटी सहित	12.00	0.25	श्री फतेह बहादुर सिंह, मा0 विधायक, कैम्पियरगंज, गोरखपुर	17.50
7	1913297	जनपदगोरखपुर के ग्राम सभा अकोलही विकास खण्ड खेराबार स्थित प्राचीन शिव मंदिरस्थल (पोछीया ब्रम्ह स्थान) का पर्यटन विकास कार्य हेतु	यू0पी0एस0टी0डी0सी0	49.94 (जीएसटी सहित	12.00	0.25	श्री विपिन सिंह, मा0 विधायक, 23 गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर	17.50

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

				कुल धनराशि (रूपये एक करोड़ बाईस लाख पचास हजार मात्र)	**122.50**

4- प्रश्नगत प्रायोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) परियोजना हेतु पूर्व में निर्गत पर्यटन अनुभाग के शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया हो।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-353/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर -212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

(7) प्रश्नगत परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया गया।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया गया। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत परियोजना की अवमुक्त की जा रही धनराशि की स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षारित कराते हुये (तिथि साहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(12) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 1,22,50,000 (रूपये एक करोड़ बाईस लाख पचास हजार मात्र)को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 लेखाशीर्ष-5452801040800-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-353/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2.महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3.निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4.निजी सचिव,मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 सरकार।
5.श्री सरवन कुमार निषाद, मा0 विधायक, 326-चौरी चौरा, गोरखपुर।
6.डा0 विमलेश पासवान, मा0 विधायक, 327-बांसगांव, गोरखपुर।
7.श्री फतेह बहादुर सिंह, मा0 विधायक, कैम्पियरगंज, गोरखपुर।
8.श्री विपिन सिंह, मा0 विधायक, 23 गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर।
9.जिलाधिकारी, जौनपुर/गोरखपुर।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

12. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
13. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
14. उप निदेशक (प्रशासन), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-11,12,13, 15 एवं 16को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
15. संयुक्त निदेशक, पर्यटन, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
16. उपनिदेशक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
17. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
18. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।